मंथली पॉलिसी रिव्यू

दिसंबर 2022

इस अंक की झलकियां

शीतकालीन सत्र 2022 समाप्त; सात बिल पारित; दो बिल जेपीसी को भेजे गए

संसद 13 दिन तक चली और तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) बिल, 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2022 पेश करके ज्वाइंट कमिटी को भेजे गए।

रेपो रेट बढ़कर 6.25% हुई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट 6% पर

मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 7% से 6.8% तक संशोधित किया। 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% रहने का अनुमान है।

संसद ने 2022-23 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित किया

अनुपूरक मांगों में 3.26 लाख करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय का प्रस्ताव है। इस वृद्धिशील नकद व्यय के माध्यम से उर्वरक और खाद्य सबसिडी को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) बिल, 2022 को पारित किया

बिल उपकरणों, घरेलू उपयोग के उपकरणों तथा उद्योगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा को रेगुलेट करता है। वह केंद्र को कार्बन ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड निर्दिष्ट करता है।

एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 संसद में पारित

बिल में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मैरीटाइम पायरेसी के प्रॉसीक्यूशन का प्रावधान है और वह उम्रकैद, और अगर पायरेसी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दंड का प्रावधान करता है।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) बिल, 2023 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट पेश की

कमिटी ने कहा कि बिल को कॉम्बिनेशंस के रेगुलेशन के लिए डील वैल्यू के कैलकुलेशन का तरीका बताना चाहिए।

विभिन्न मुद्दों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट सौंपी गईं

बड़ी टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यपद्धतियों, कोयला आयात, विभिन्न विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और युद्ध विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करने वाली रिपोर्ट्स सौंपी गईं।

2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 4.4%

2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा 9.7 बिलियन USD (जीडीपी का 1.3%) था।

कैबिनेट ने एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के मुफ्त वितरण को मंजूरी दी

दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होने और दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च की उम्मीद है।

एक साथ चुनाव कराने पर 22वें विधि आयोग ने टिप्पणियां आमंत्रित कीं

21वें आयोग ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का सुझाव दिया था यानी सरकार को सिर्फ तभी हटाया जा सके, जब किसी वैकल्पिक सरकार में विश्वास हो।

भूविरासत स्थलों और भू-अवशेषों के संरक्षण संबंधी ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणियां आमंत्रित

ड्राफ्ट बिल केंद्र सरकार को किसी भूविरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने का अधिकार देता है।

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 23234801, 43434035 ▪ www.prsindia.org

संसद

शीतकालीन सत्र 2022 समाप्त; सात बिल पारित, दो बिल जेपीसी को भेजे गए

Niranjana S Menon (niranjana@prsindia.org)

संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित किया गया। संसद की बैठक 13 दिन हुई और निर्धारित अवधि से चार कार्यदिवस पूर्व अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।

सत्र के दौरान सात बिल पेश किए गए। बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) बिल, 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2022 को पेश किया गया और फिर उसके बाद ज्वाइंट कमिटी को भेज दिया गया। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए चार बिल पेश किए गए। इनमें से दो पारित हो गए। इससे पहले के सत्रों में पेश किए गए पांच बिल भी पारित कर दिए गए। ये हैं: (i) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन बिल, 2021, (ii) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) बिल, 2022, (iii) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आरबिट्रेशन सेंटर (संशोधन) बिल, 2022, (iv) एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 और (v) संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2022।

शीतकालीन सत्र 2022 के दौरान लेजिसलेटिव बिजनेस पर अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें। सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर अधिक विवरण के लिए यहां देखें।

स्टैंडिंग कमिटीज़ ने 2022-23 में समीक्षा हेतु विषयों को चिन्हित किया

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

संसद के 24 विभागों से संबंधित दो स्टैंडिंग कमिटियों ने 2022-23 के दौरान समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया। इन कमिटियों द्वारा चिन्हित विषयों को अनुलग्नक में सूचीबद्ध किया गया है। रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने एक अतिरिक्त विषय 'सैनिक स्कूलों की समीक्षा' को भी चुना है।

अब तक 19 कमिटियों ने 2022-23 के दौरान समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया है। इनकी सूची अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 के मंथली पॉलिसी रिव्यू में उपलब्ध हैं।

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

रेपो दर और स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट बढ़कर क्रमशः 6.25% और 6% हुई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 5.9% से बढ़ाकर 6.25% करने का फैसला किया है।[1] समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 5.65% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 6.15% से बढ़कर 6. 5% हो गए हैं।
- समिति ने समायोजन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बरकरार रहे।

समिति ने 2022-23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 7% से 6.8% तक संशोधित किया।[1,2] 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% रहने का अनुमान है।

2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 4.4%

भारत ने 2022-23 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 36.4 बिलियन USD का चालू खाता घाटा (जीडीपी का 4.4%) दर्ज किया था, जबकि 2021-22 की दूसरी तिमाही में यह घाटा 9.7 बिलियन USD (जीडीपी का 1.3%) था।[3] व्यापारिक व्यापार घाटे में वृद्धि और निवेश आय के शुद्ध बहिर्गमन में वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बढ़ा। 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में चालू खाता घाटा 18.2 बिलियन USD (जीडीपी का 2.2%) था।

2021-22 की दूसरी तिमाही में 39.6 बिलियन USD के शुद्ध प्रवाह की तुलना में पूंजी खाते ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.9 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया। 2021-22 की दूसरी तिमाही में 31.2 बिलियन USD की वृद्धि की तुलना में 2022-23 की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 30.4 बिलियन USD की कमी आई।

तालिका 1: भुगतान संतुलन, ति2 2022-23 (बिलियन USD में)

	ति2 2021-22	ति1 2022-23	ति2 2022-23
चालू खाता	-9.7	-18.2	-36.4
पूंजी खाता	39.6	22.1	6.9
भूल चूक लेनी देनी	1.3	0.7	-0.9
मुद्रा भंडार में परिवर्तन	31.2	4.6	-30.4

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; पीआरएस।

वित्त

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

संसद ने 2022-23 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित किया

संसद ने 2022-23 के लिए अनुदान की पहली अनुपूरक मांग (डीएफजी) पारित की।[4] पहले अनुपूरक डीएफजी ने 3.26 लाख करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद खर्च का प्रस्ताव किया है, जो 39.45 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 8.3% अधिक है।

तालिका 2: पहले अनुपूरक डीएफजी 2022-23 के तहत प्रमुख मंत्रालयों में शुद्ध नकद खर्च का प्रस्ताव (करोड़ रुपए)

मंत्रालय	प्रस्तावित शुद्ध नकद खर्च
कुल खर्च जिसमें निम्नलिखित शामिल:	3,25,757
रसायन एवं उर्वरक	1,09,313
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	80,348
ग्रामीण विकास	45,177
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	24,944
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	17,919
गृह मामले	12,236

स्रोत: पहली अनुपूरक डीएफजी 2022-23, वित्त मंत्रालय; पीआरएस।

3.26 लाख करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय के माध्यम से वित्तपोषित करने के लिए प्रस्तावित व्यय मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उर्वरक सबसिडी**: सरकार ने स्वदेशी और आयातित यूरिया सबसिडी के भुगतान के लिए 86,165 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी। यह 2022-23 में यूरिया सबसिडी के लिए 63,222 करोड़ रुपए के बजट आबंटन से 136% की वृद्धि है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2022-23 (1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023) के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरकों के लिए सबसिडी दरों में वृद्धि की।[5]
- **खाद्य सबसिडी**: सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्य सबसिडी के लिए 60,110 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी। सरकार ने 2022-23 के बजट में फूड सबसिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए थे। खाद्य सबसिडी पर प्रस्तावित अतिरिक्त नकद व्यय बजट आबंटन का 29% है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है।[6]

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) बिल, 2022 पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट सौंपी गई

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जयंत सिन्हा) ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) बिल, 2022 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।[7] बिल प्रतिस्पर्धा एक्ट, 2002 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट बाजार में प्रतिस्पर्धा को रेगुलेट करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लेनदेन के मूल्य (डील वैल्यू) की सीमा**: एक्ट किसी व्यक्ति या उद्यम को ऐसे किसी कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने से रोकता है जिसका प्रतिस्पर्धा पर अच्छा-खासा प्रतिकूल असर पड़े। कॉम्बिनेशंस का मतलब है, उद्यमों का विलय, अधिग्रहण या अमैल्गमैशन (समामेलन)। यह प्रतिबंध संचयी परिसंपत्तियों (कुमुलेटिव एसेट्स) और संचयी कारोबार (कुमुलेटिव टर्नओवर) पर कुछ

निश्चित सीमाओं के आधार पर लागू होता है। बिल कॉम्बिनेशंस की परिभाषा का दायरा बढ़ाता है ताकि इसमें 2,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन को शामिल किया जा सके। कमिटी ने कहा कि बिल में इस बात का दिशानिर्देश नहीं दिया गया है कि किसी सौदे के मूल्य की गणना कैसे की जाएगी। इससे ऐसे लेनदेन भी सीसीआई की जांच के दायरे में आ जाएंगे, जिनके प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका नहीं है। उसने सुझाव दिया कि बिल में यह प्रावधान होना चाहिए कि रेगुलेशंस के जरिए लेनदेन के मूल्य की गणना के तरीके को निर्धारित किया जाए।

- बिल में यह प्रावधान भी है कि लेनदेन के मूल्य की सीमा को लागू करने के लिए, उस उद्यम का भारत में पर्याप्त रूप से कारोबारी कामकाज होना चाहिए जोकि लेनदेन का एक पक्ष है। कमिटी ने सुझाव दिया कि यह मानदंड सिर्फ उन उद्यमों पर लागू होता है जिनका अधिग्रहण किया गया है।
- **कॉम्बिनेशंस की मंजूरी के लिए समय सीमा**: बिल में प्रस्ताव है कि कॉम्बिनेशन की मंजूरी पर सीसीआई द्वारा आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन किया जाए। यह 20 दिन की समय सीमा तय करने का भी प्रयास करता है जिसके भीतर सीसीआई प्रथम दृष्टया यह राय कायम करेगी कि क्या कॉम्बिनेशन का प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कमिटी ने गौर किया कि प्रस्तावित समय सीमा सीसीआई पर अनुचित बोझ डालेगी। उसने मौजूदा समय सीमाओं को न बदलने का सुझाव दिया।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें और बिल पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए यहां देखें।

बड़ी टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य पद्धतियों पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री जयंत सिन्हा) ने 'बड़ी टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य पद्धतियां' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[8] कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डिजिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना**: डिजिटल मार्केट में इंटरनेट आधारित (डिजिटल) कंपनियां और लाखों इंटरएक्टिंग भागीदार होते हैं। कमिटी ने कहा कि भौतिक बाजारों से अलग, लर्निंग और नेटवर्क इफेक्ट्स (प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ यूजर्स की उपयोगिता बढ़ती है) के चलते बढ़ने वाले आकार के परिणामस्वरूप रिटर्न बढ़ता है (फर्म के आकार के बढ़ने से बिजनेस पर रिटर्न बढ़ता है)। नतीजे के तौर पर ऐसे बाजारों में कम अवधि में उभरने वाली कंपनियों का प्रभुत्व हो सकता है। ऐसा नीतियों के निर्माण और प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य पद्धतियों पर निर्णय लेने से पहले ही हो जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि बाजार में एकाधिकार स्थापित होने से पहले उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि उसके स्थापित होने के बाद- जैसा कि वर्तमान में किया जाता है।
- **डिजिटल गेटकीपर्स**: कमिटी ने सुझाव दिया कि भारत को डिजिटल मार्केट्स में उन प्रमुख कंपनियों को चिन्हित करना चाहिए जोकि प्रतिस्पर्धात्मक आचरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उन्हें राजस्व, बाजार पूंजीकरण और एक्टिव बिजनेस एवं एंड यूजर्स की संख्या के आधार पर सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज़ (एसआईडीआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एसआईडीआई को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी चाहिए जिसमें इस बात का विवरण होना चाहिए कि विभिन्न अनिवार्य बाध्यतों का पालन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा एक्ट**: कमिटी ने कहा कि भारत को डिजिटल मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धा कानून में सुधार करना चाहिए। इस बाजार के आर्थिक वाहक कुछ कंपनियों को इकोसिस्टम पर हावी होने का मौका देते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पेश करना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

इरडाई ने भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित किए

भारतीय बीमा रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी (इरडाई) ने इरडाई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) रेगुलेशन, 2022 को अधिसूचित किया।[9] रेगुलेशन भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। वे बीमा रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) रेगुलेशन, 2000 और बीमा रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण) रेगुलेशन, 2015 को निरस्त करते हैं।[10,11] 2022 के रेगुलेशंस की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

- **अनुमत बीमा व्यवसाय**: रेगुलेशंस बीमा व्यवसाय के कुछ वर्गों को निर्धारित करते हैं जिसके लिए पंजीकरण का आवेदन किया जाना चाहिए। इनमें शामिल हैं: (i) जीवन बीमा, (ii) सामान्य बीमा, (iii) स्वास्थ्य बीमा, और (iv) पुनर्बीमा। एक आवेदक पंजीकरण के आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा, अगर: (i) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान इरडाई द्वारा पंजीकरण आवेदन को खारिज कर दिया गया है या आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया है, (ii) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान पंजीकरण का प्रमाण पत्र इरडाई द्वारा रद्द कर दिया गया है, या (iii) आवेदक के नाम में बीमा, आश्वासन या पुनर्बीमा शब्द नहीं है।
- **विदेशी निवेश**: अगर एक भारतीय बीमा कंपनी के पास विदेशी निवेश है, तो इसके अधिकांश निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति और इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि विदेशी निवेश 49% से अधिक हो जाता है, तो शुद्ध लाभ का कम से कम 50% सामान्य रिजर्व में रखा जाएगा। यह एक वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए जब इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है या सॉल्वेंसी मार्जिन (देयताओं से अधिक संपत्ति) सॉल्वेंसी के नियंत्रण स्तर (इरडाई द्वारा निर्धारित) के 1.2 गुना से कम है। 49% से अधिक विदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों के लिए, कम से कम आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। यदि अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक है, तो शेष निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई को स्वतंत्र होना चाहिए।

सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए टिप्पणियां आमंत्रित कीं

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सिक्योरिटी मार्केट्स में शिकायत समाधान के लिए ऑनलाइन विवाद निवारण व्यवस्था पर परामर्श पत्र जारी किया है।[12] वर्तमान में बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) (स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज) में विवाद समाधान की तीन स्तरीय प्रक्रिया होती है: (i) निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा मध्यस्थता/सुलह, (ii) आरबिट्रेशन, और (iii) अपीलीय आरबिट्रेशन। सेबी ने कहा कि शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी और पहुंच योग्य बनाने की गुंजाइश होती है। एमआईआई को अब विवाद समाधान कार्यवाहियों को ऑनलाइन संचालित करना होगा। आंतरिक कार्यसमूह की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मध्यस्थता के लिए हाइब्रिड दृष्टिकोण**: सेबी ने कहा कि एमआईआई ने ऑनलाइन मध्यस्थता/सुलह की व्यवस्था की जिससे शामिल पक्षों के लिए समय और लागत में बचत हुई। सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि निवेशकों के पास शारीरिक रूप से भाग लेने का विकल्प भी होना चाहिए, अगर वे ऑनलाइन कार्यवाही से सहज नहीं हैं। यह कम इंटरनेट स्पीड और कम डिजिटल साक्षरता जैसी डिजिटल डिवाइड की चिंताओं को दूर करेगा।
- **मध्यस्थों का पैनल**: एमआईआई द्वारा पक्षों के बीच विवादों या शिकायतों की मध्यस्थता/समाधान के लिए निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है। सेबी ने समिति का नाम बदलकर मध्यस्थों और/या सुलहकर्ताओं का पैनल करने का प्रस्ताव दिया है। विवाद को 15 दिनों की वर्तमान समय सीमा के मुकाबले 21 दिनों के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। अगर विवाद प्रस्तावित समय सीमा में हल नहीं होता है, तो इसे ऑनलाइन आरबिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा।

- **आरबिट्रेशन**: 25 लाख रुपए तक के दावों से जुड़े मामलों के लिए एमआईआई द्वारा आरबिट्रेशन में एक आरबिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। 25 लाख रुपए से अधिक के दावों के लिए तीन आरबिट्रेटर्स का एक पैनल नियुक्त किया जाता है। सेबी ने प्रस्ताव किया है कि दावा राशि जो भी हो, एक से अधिक आरबिट्रेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस उपाय से निम्नलिखित हो सकता है: (i) पक्षो की लागत कम होगी और पैनल बनाने में समन्वय जैसे समस्या कम होगी, और (ii) अन्य मामलों के लिए आरबिट्रेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- **अपीलीय आरबिट्रेशन**: वर्तमान में आरबिट्रेटर के फैसले से पीड़ित पक्ष आरबिट्रेटर्स के अपीलीय पैनल में अपील कर सकते हैं। अपीलीय पैनल में तीन आरबिट्रेटर्स होते हैं जो पहले फैसला सुनाने वाले आरबिट्रेटर से अलग होते हैं। सेबी ने अपीलीय आरबिट्रेशन प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है।

टिप्पणियां 9 जनवरी, 2023 तक आमंत्रित हैं।

सेबी बोर्ड ने कई उपायों को मंजूर किया

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने निम्नलिखित मुख्य उपायों को मंजूरी दी:[13]

- **एमआईआई में गवर्नेंस**: सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के गर्वनेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा की। एमआईआई में स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरेंस कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटरी शामिल हैं। उनके कार्यों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा: (i) महत्वपूर्ण संचालन, (ii) रेगुलेटरी, अनुपालन और जोखिम प्रबंधन और (iii) अन्य कार्य। एमआईआई को संसाधन आबंटन के लिहाज से पहले दो कार्यक्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। एमआईआई को प्रौद्योगिकी, कानून और रेगुलेटरी, वित्त और एकाउंट्स, और पूंजी बाजार के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक हित (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त करने होंगे। एमआईआई एक अलग मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करेंगे जो एमआईआई से जुड़े जोखिमों को संभालेंगे। सभी प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी) की नियुक्ति और उन्हें हटाने का काम नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किया जाएगा।
- **शेयर बाय-बैक**: बोर्ड ने सेबी (सिक्योरिटीज़ का बाय-बैक) रेगुलेशंस, 2018 में संशोधनों को मंजूरी दी है।[14] बाय-बैक में किसी कंपनी द्वारा अपने निवेशकों से सिक्योरिटीज़ की खरीद शामिल है। बाय-बैक या तो स्टॉक-एक्सचेंज रूट या टेंडर ऑफर रूट के माध्यम से किया जा सकता है। टेंडर ऑफर के तहत कंपनी निवेशकों से ऑफर लेटर के जरिए अपनी सिक्योरिटीज वापस खरीदती है। संशोधनों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज रूट के माध्यम से बाय-बैक धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा।

इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां आमंत्रित

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया है।[15] एक इंडेक्स सिक्योरिटीज़ के समूह से बना होता है और उन सिक्योरिटीज़ के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। यह निवेशकों को बाजार के स्थिति को समझने और बाजार की भावना का अध्ययन करने में मदद करता है। सेबी ने कहा कि विभिन्न वित्तीय उत्पाद इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए इंडेक्स का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, फंड मैनेजरों के अनुरोध पर कुछ कस्टमाइज्ड इंडेक्स बनाए जाते हैं और उनके द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ योजनाओं के कारण इंडेक्स प्रोवाइडर्स का प्रसार हुआ है, जो एक इंडेक्स का हिस्सा हैं। वर्तमान में, बेंचमार्क और इंडेक्स का स्वामित्व और प्रबंधन उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो या तो स्टॉक एक्सचेंजों की सहायक कंपनियां हैं या स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स प्रोवाइडर्स का संयुक्त उद्यम हैं। सेबी ने कहा कि इंडेक्स/बेंचमार्क के गवर्नेंस और प्रशासन में हितों के टकराव की आशंका थी।

एक कार्यकारी समूह और द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सेबी ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। यह घरेलू और विदेशी इंडेक्स प्रोवाइडर्स पर लागू होगा, अगर उनके उत्पादों के उपयोगकर्ता भारत में स्थित हैं। भारत में उपयोग के लिए इंडेक्स की

पेशकश करने वाले इंडेक्स प्रोवाइडर्स को सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। स्वतंत्र पेशेवर नहीं, केवल निगमित संस्थाएं इंडेक्स प्रोवाइडर्स के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगी। उनके पास न्यूनतम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए और इंडेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम पांच साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इंडेक्स प्रोवाइडर्स को इंडेक्स डिज़ाइन की समीक्षा करने के लिए एक निरीक्षण समिति बनानी होगी। समिति बेंचमार्किंग पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तनों की भी समीक्षा करेगी।

27 जनवरी, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में संशोधन किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को संशोधित किया है।[16,17] आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए चार स्तरीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेश किया है। इससे पहले, टियर 1 यूसीबी में 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले एकल शाखा वाले बैंक या एक ही जिले में कई शाखाओं वाले बैंक शामिल थे। अन्य सभी यूसीबी को टियर 2 के तहत वर्गीकृत किया गया था।[18] संशोधित ढांचे का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3: यूसीबी के लिए संशोधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

श्रेणी	जमा का आकार	न्यूनतम शुद्ध मूल्य	पूंजी पर्याप्तता
टियर1	किसी भी जमा आकार के यूनिट यूसीबी और वेतनभोगी यूसीबी; 100 करोड़ रुपए तक जमा वाले अन्य यूसीबी	एक ही जिले में यूसीबी के लिए दो करोड़ रुपए; अन्य यूसीबी के लिए पांच करोड़ रुपए	रिस्क वेटेड एसेट्स का 9%
टियर2	100 करोड़ रुपए से अधिक और 1,000 करोड़ रुपए तक	पांच करोड़ रुपए	रिस्क वेटेड एसेट्स का 12%
टियर3	1,000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक		
टियर4	10,000 करोड़ रुपए से अधिक		

स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।

इसके अतिरिक्त यूसीबी कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो उनमें से चुनींदा को फाइनांशियली साउंड और वेल मैनेज्ड के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा।[19] इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम से कम एक पर्सेंट प्वाइंट पूंजी पर्याप्तता, (ii) शुद्ध नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात 3% से अधिक नही, और (iii) पहले चार में से कम से कम तीन वर्षो का शुद्ध लाभ।

ऊर्जा

Mayank Shreshtha (mayank@prsindia.org)

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) बिल, 2022 संसद में पारित

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) बिल, 2022 को संसद ने पारित कर दिया है।[20] बिल ऊर्जा संरक्षण एक्ट, 2001 में संशोधन का प्रयास करता है।[21] एक्ट ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें उपकरणों, घरेलू उपयोग के उपकरणों, भवनों तथा उद्योगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के रेगुलेशन का प्रावधान है। बिल के मुख्य प्रस्तावों में निम्न शामिल हैं:

- **ऊर्जा के नॉन-फॉसिल स्रोतों के इस्तेमाल की बाध्यता**: एक्ट केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह ऊर्जा उपभोग के मानकों को निर्दिष्ट करे। बिल इसमें यह जोड़ता है कि सरकार किसी निर्दिष्ट उपभोक्ता से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऊर्जा की खपत का एक न्यूनतम हिस्सा नॉन-फॉसिल स्रोत से प्राप्त करे। अलग-अलग नॉन-फॉसिल स्रोतों और उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए उपभोग की अलग-अलग सीमाएं निर्दिष्ट की जा सकती हैं। निर्दिष्ट उपभोक्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उद्योग जैसे खनन, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रसायन और पेट्रोरसायन, (ii) रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र, और (iii) व्यावसायिक इमारतें, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है। नॉन-फॉसिल स्रोतों से ऊर्जा के उपभोग की बाध्यता पूरी न करने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा होगी। इसके अतिरिक्त भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए यह देखा जाएगा कि निर्धारित मानदंड से कितनी अधिक यूनिट ऊर्जा की खपत की गई। उतने ही यूनिट तेल की जो कीमत होगी, उसका दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

- **कार्बन ट्रेडिंग**: बिल केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम निर्दिष्ट करे। कार्बन क्रेडिट का अर्थ कार्बन उत्सर्जन की एक निर्दिष्ट मात्रा का व्यापार योग्य परमिट। केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत और उसका अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी कर सकती है। संस्थाएं सर्टिफिकेट को खरीदने या बेचने के लिए अधिकृत होंगी। कोई अन्य व्यक्ति भी स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीद सकता है।
- **इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता**: एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता निर्दिष्ट करे। संहिता क्षेत्रफल के लिहाज से ऊर्जा उपभोग के मानदंड निर्दिष्ट करती है। बिल इसमें संशोधन करके 'ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता' का प्रावधान करता है। यह नई संहिता ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, और हरित भवनों की अन्य जरूरतों से संबंधित नियमों का प्रावधान करेगी।

रिपोर्ट पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट्स के लिए फ्लोर प्राइज अधिसूचित

केंद्रीय बिजली रेगुलेटरी आयोग (सीईआरसी) ने सीईआरसी (ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट्स के लेनदेन के नियम और शर्तें) रेगुलेशन, 2016 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[22,23] रेगुलेशंस ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये सर्टिफिकेट्स ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उन अधिसूचित उद्योगों को जारी किए गए व्यापार योग्य साधन हैं जिन्होंने प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत अपने ऊर्जा बचत लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत, तीन साल के लिए निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को विशिष्ट ऊर्जा-बचत लक्ष्यों में कटौती दी जाती है। पावर एक्सचेंजों में अंडरएचीवर्स के साथ सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जा सकता है। संशोधन में कहा गया है कि एक फ्लोर प्राइस से अधिक पर इन सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जाना चाहिए। फ्लोर प्राइस खपत की गई ऊर्जा के बराबर तेल के एक मीट्रिक टन के मूल्य का 10% तय किया जाएगा। केंद्र सरकार हर तीन साल के पीएटी चक्र के लिए इस कीमत को अधिसूचित करेगी।

विदेशी मामले

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 को संसद में पारित किया गया

एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया।[24] यह बिल मैरीटाइम पायरेसी के प्रॉसीक्यूशन का प्रावधान करता है और 1982 के यूनाइडेट नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी (यूएनसीएलओएस) की पुष्टि करता है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।[25] पारित बिल में विदेश मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी के सुझाव शामिल थे जिसने इसकी समीक्षा की थी।[26] पारित होने वाले बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्षेत्राधिकार**: बिल अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पर लागू होगा जिसमें भारत के क्षेत्रीय जल के बाहर का क्षेत्र आता है। क्षेत्रीय जल भारत की तटसीमा से 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल है, जो कि वह क्षेत्र है जिसमें भारत के पास आर्थिक गतिविधियों का विशेष अधिकार है, यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक।
- **पायरेसी**: बिल में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हिंसा, बंधक बनाने या निजी उद्देश्यों के लिए नुकसान पहुंचाने के गैर कानूनी कृत्य को पायरेसी के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषा में किसी व्यक्ति या निजी जहाज के कर्मचारियों या यात्रियों द्वारा किए गए पायरेसी के कृत्य भी शामिल हैं। पायरेसी के पीड़ितों में कोई अन्य जहाज या उस जहाज पर कोई व्यक्ति या संपत्ति शामिल हैं। इसमें पायरेसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जहाज के संचालन में स्वैच्छिक भागीदारी भी शामिल है।

- **अपराध और दंड**: पायरेसी करने पर निम्नलिखित दंड दिए जाएंगे: (i) कारावास, जोकि उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों, अथवा (ii) मृत्यु या उम्रकैद, अगर पायरेसी के कृत्य या पायरेसी की कोशिश में हत्या की कोशिश शामिल है और उसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है।
- **निर्दिष्ट अदालत**: केंद्र सरकार बिल के तहत कुछ सत्र न्यायालयों को नामित न्यायालयों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। वह प्रत्येक नामित न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को भी अधिसूचित कर सकती है। ऐसी अदालतें निम्नलिखित द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई करेंगी: (i) भारतीय नौसेना या तट रक्षक की हिरासत में किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति, (ii) भारत का नागरिक, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक, या राज्यविहीन व्यक्ति। जैसा कि पेश किया गया है, बिल में न्यायालय को ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई जो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं था, लेकिन स्टैंडिंग कमिटी के सुझावों के बाद इस प्रावधान में संशोधन किया गया।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें।

भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

विदेशी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: पी.पी.चौधरी) ने 12 दिसंबर, 2022 को 'भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[27] विदेशी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सॉफ्ट पावर यानी मृदु शक्ति, बल प्रयोग किए बिना दूसरों को प्रभावित करने की अपील और आकर्षण होता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **समन्वय समिति**: मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को आगे बढ़ाने में बाधाएं पैदा होती हैं। कमिटी ने पहले सुझाव दिया था कि विदेशी मामलों के मंत्रालय/आईसीसीआर तथा दूसरे मंत्रालयों (जैसे संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय) के बीच संस्थागत समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए। कमिटी ने कहा कि इस तंत्र को स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय की निगरानी में समन्वय समिति के गठन से भारत में सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों/विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
- **आईसीसीआर का पुनर्गठन**: आईसीसीआर मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका काम भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी नीति और कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना और उनका कार्यान्वयन है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसीआर के पुनर्गठन के काम में विलंब हुआ। कमिटी ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी है कि आईसीसीआर की संरचना और उसके कामकाज की पूरी तरह से रीमॉडलिंग की जाए। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय आईसीसीआर के पुनर्गठन को अंतिम रूप दे। उसने सुझाव दिया कि पुनर्गठन का ब्ल्यूप्रिंट तीन महीने के भीतर कमिटी को सौंपा जा सकता है।
- मंत्रालय ने कहा था कि आईसीसीआर का बजटीय आबंटन पर्याप्त नहीं था। कमिटी ने गौर किया कि दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए आईसीसीआर को 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कमिटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को आईसीसीआर का बजटीय आबंटन 500 करोड़ रुपए कर देना चाहिए जिससे वह भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत तरीके से संचालित कर सके।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

आदिवासी मामले

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए दो बिल पारित किए

संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) बिल, 2022 को पारित कर दिया।[28,29] ये बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हैं।[30] दूसरे संशोधन बिल में तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में नरिकुरवन और कुरुविक्कारन समुदायों को शामिल किया गया है।[28] चौथे संशोधन बिल में कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में काडू कुरुबा के समानार्थी के रूप में बेट्टा कुरुबा को शामिल किया गया है।[29]

तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित संशोधनों पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां और यहां देखें।

लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले दो बिल पारित

लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) बिल, 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) बिल, 2022 पारित किया।[31,32] ये बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हैं।[30] तीसरे संशोधन बिल के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल किया गया है।[31] पांचवां संशोधन बिल छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, संवरा और बिंझिया समुदायों को शामिल करता है।[32] इसके अतिरिक्त बिल संविधान आदेश में कुछ आदिवासी समुदायों के नामों को मध्य प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2000 के हिंदी संस्करणों के हिंदी नामों के साथ प्रतिस्थापित करता है।[33]

हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित संशोधनों पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां और यहां देखें।

गृह मामले

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) बिल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया

बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) बिल, 2022 को लोकसभा में 7 दिसंबर, 2022 को पेश किया गया।[34] यह बिल बहु-राज्यीय सहकारी समिति एक्ट, 2002 में संशोधन करता है।[35] बहु-राज्यीय सहकारी समितियां एक से अधिक राज्यों में काम करती हैं। बिल को समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियमेंटरी कमिटी के पास भेज दिया गया है। बिल के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन**: एक्ट के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड का निर्वाचन उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा किया जाता है। बिल इसमें संशोधन करता है और निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण बनाएगी जोकि निम्नलिखित कार्य करेगा: (i) निर्वाचन करना, (ii) मतदाता सूची को तैयार करने से संबंधित मामलों का निरीक्षण, निर्देशन और उसका नियंत्रण करना, और (iii) अन्य निर्दिष्ट काम करना। प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
- इसके अतिरिक्त सिर्फ सक्रिय सदस्य ही सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी के तौर पर चुने जाने के पात्र होंगे। सक्रिय सदस्य वे होते हैं जो समिति के न्यूनतम स्तर के उत्पादों या सेवाओं का लाभ उठाते हैं, या जिन्होंने लगातार कम से कम तीन आम बैठकों में भाग लिया है।
- **शिकायतों का निवारण**: बिल के अनुसार, केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ एक या एक से अधिक सहकारी ऑम्बुड्ज़मैन की नियुक्ति करेगी। ऑम्बुड्ज़मैन निम्नलिखित के संबंध में सहकारी समितियों के सदस्यों की शिकायतों की जांच करेगा: (i) उनकी जमा, (ii) समिति के कामकाज के उचित लाभ, या (iii) सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले

मुद्दे। ऑम्बुड्ज़मैन शिकायत प्राप्त होने के तीन महीनों के भीतर जांच और अधिनिर्णय की प्रक्रिया को पूरी करेगा। ऑम्बुड्ज़मैन के निर्देशों के खिलाफ एक महीने के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार (जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है) में अपील दायर की जा सकती है।

- **सहकारी समितियों का एकीकरण**: एक्ट में बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के एकीकरण और विभाजन का प्रावधान है। आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके, ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए मौजूद और वोट करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों की जरूरत होती है। बिल सहकारी समितियों (राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत) को मौजूदा बहु-राज्यीय सहकारी समिति में विलय होने की अनुमति देता है। इस विलय के लिए आम बैठक में सहकारी समिति के मौजूदा और वोट देने वाले दो तिहाई सदस्यों को प्रस्ताव पारित करना होगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

वाणिज्य एवं उद्योग

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया

लोकसभा में 22 दिसंबर, 2022 को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2022 को पेश किया गया।[36] यह बिल व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए 42 कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। बिल जिन कानूनों में संशोधन करता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: भारतीय डाक घर एक्ट, 1898, पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा एक्ट, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कुछ अपराधों को अपराध मुक्त (डीक्रिमिनलाइज) करना**: बिल कुछ कानूनों में कुछ अपराधों को कैद की सजा से मुक्त करता है और उनके लिए सिर्फ मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) एक्ट, 1937 में जाली ग्रेड डेज़िग्नेशन मार्क बनाने पर तीन वर्ष तक की कैद की सजा और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना (फाइन) है। बिल इसे आठ लाख रुपए तक के अर्थदंड (पैनेल्टी) से बदलता है। ग्रेड डेज़िग्नेशन मार्क 1937 के एक्ट के तहत किसी वस्तु की क्वालिटी का संकेत देता है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000 के तहत कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत सूचना का खुलासा करने पर तीन वर्ष तक की कैद, या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। बिल इसे 25 लाख रुपए तक के अर्थदंड से बदलता है।
- कुछ कानूनों में अपराधों में जुर्माने की बजाय अर्थदंड लगाकर, उन्हें अपराधमुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए पेटेंट्स एक्ट, 1970 के तहत अगर कोई व्यक्ति झूठे तरीके से यह प्रस्तुत करता है कि उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु भारत में पेटेंट है तो उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिल जुर्माने को अर्थदंड में बदलता है, जोकि 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर वह ऐसा दावा करना जारी रखता है तो प्रति दिन एक हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड लगेगा।
- **जुर्माने और अर्थदंड में संशोधन**: बिल निर्दिष्ट कानूनों में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और अर्थदंड को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इन जुर्मानों और अर्थदंड को हर तीन वर्षों में न्यूनतम राशि से 10% तक बढ़ाया जाएगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

रसायन, फार्मा, लोहा, स्टील की वस्तुओं को शामिल करने हेतु निर्यात पर टैक्स रीफंड योजना में विस्तार

tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज़ ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉडक्ट्स (आरओडीटीईपी) योजना के तहत कवर होने वाले क्षेत्रों को बढ़ा दिया है।[37] इस योजना में अब रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और स्टील क्षेत्र के निर्यातित वस्तुएं भी आएंगी। आरओडीटीईपी के तहत निर्यात पर केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर/शुल्क में छूट दी जाती है, या उसे रीफंड कर दिया जाता है।

विधि एवं न्याय

निरसन और संशोधन बिल, 2022 लोकसभा में पेश

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

निरसन और संशोधन बिल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया।[38] यह बिल 65 कानूनों को निरस्त करता है जोकि अप्रचलित हैं या जिन्हें अन्य कानूनों ने निरर्थक बना दिया है। बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में ड्राफ्टिंग की एक छोटी सी त्रुटि को भी ठीक करता है।[39] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कानूनों का निरसन**: बिल की पहली अनुसूची में 24 कानून दिए गए हैं जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें से 16 संशोधन कानून हैं और दो कानून 1947 से पहले के हैं।
- **विनियोग कानूनों का निरसन**: बिल की दूसरी अनुसूची में 41 विनियोग कानून हैं जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें 18 विनियोग कानून रेलवे से संबंधित हैं। ये सभी कानून 2013 से 2017 के बीच के हैं।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

एक साथ चुनाव कराने पर टिप्पणियां आमंत्रित

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

22वें विधि आयोग ने एक साथ चुनाव (समकालिक या सैमलटेनियस चुनाव) कराने पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[40] 21वें आयोग ने एक साथ चुनाव पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की थी और कुछ सुझाव दिए थे, जैसे कुछ राज्यों के चुनाव के समय को आगे बढ़ाना या स्थगित करना, और अविश्वास प्रस्ताव को अविश्वास के रचनात्मक वोट से बदला जाए यानी सरकार को केवल तभी हटाया जा सकता है जब किसी वैकल्पिक सरकार में विश्वास हो।[41]

वर्तमान आयोग (22वां) ने निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं: (i) क्या एक साथ चुनाव कराने से संविधान या संघीय राजनीति की मूल संरचना प्रभावित होगी, (ii) ऐसे मामलों में जहां किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सदन या विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उसी तरह नियुक्त किया जा सकता है, और क्या इसके लिए दसवीं अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, (iii) क्या ड्राफ्ट रिपोर्ट में कोई सुझाव संविधान का उल्लंघन करता है, (iv) क्या संविधान के किसी भी अतिरिक्त अनुच्छेद (ड्राफ्ट रिपोर्ट के अलावा) में संशोधन किया जाना चाहिए, और (v) क्या कोई अतिरिक्त मुद्दे हैं जिनके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

15 जनवरी, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

ड्राफ्ट रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए देखें।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

कैबिनेट ने एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के मुफ्त वितरण को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए), 2013 के तहत एक वर्ष के लिए खाद्यान्न के मुफ्त वितरण को मंजूरी दे दी है।[42,43] एनएफएसए के तहत सरकार पात्र हितग्राहियों को तीन रुपए प्रति किलो चावल, दो रुपए प्रति किलो गेहूं और एक रुपए प्रति किलो मोटे अनाज की दर से अनाज उपलब्ध कराती है। खाद्यान्न का मुफ्त प्रावधान 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, इससे लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होने की

उम्मीद है और इस पर केंद्र सरकार को दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करना होगा।

महिला एवं बाल विकास

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 अधिसूचित

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत प्रधानमंत्री मातृत वंदना योजना (पीएमएमवाई) नियम, 2022 को अधिसूचित किया।[44,45] ये नियम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग नियम, 2016 का स्थान लेते हैं।[46] 2022 के नियम पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ को विस्तार देने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रावधान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मातृत्व लाभ की पात्रता**: 2016 के नियमों के तहत 19 वर्ष और/या उससे अधिक आयु की हर गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माता मातृत्व लाभ की हकदार थी। 2022 के नियमों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के मानदंड में ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो: (i) अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति की हैं, (ii) आंशिक रूप से (40%) विकलांग या पूर्ण रूप के विकलांग हैं, (iii) बीपीएल राशन कार्ड/ई-श्रम कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड की धारक हैं, (iv) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी हैं, या (v) आठ लाख रुपए प्रति वर्ष से कम की शुद्ध पारिवारिक आय वाली हैं।[47] पंजीकरण के बाद सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ दिया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नियुक्त गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इन लाभों की हकदार नहीं होंगी।
- **लाभार्थियों का पंजीकरण**: 2022 के नियमों के तहत लाभार्थियों को खुद को निम्नलिखित स्थानों पर पंजीकृत कराना होगा: (i) एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र, (ii) संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र, या (iii) खुद से ऑनलाइन।
- **मातृत्व लाभ हासिल करने की शर्तें**: 2022 के नियमों के तहत लाभार्थी को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए और दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए प्राप्त होंगे, यदि बच्चा लड़की है। पहले जीवित बच्चे के लिए मातृत्व लाभ दो किश्तों में प्रदान किया जाएगा, अगर लाभार्थी: (i) गर्भावस्था का पंजीकरण कराती है, और (ii) अपने पिछले मासिक धर्म चक्र से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराती है। दूसरी किश्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने और बच्चे को 14 सप्ताह की आयु तक सभी देय टीके लगवाने पर मिलेगी। दूसरे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान जन्म का पंजीकरण कराने और बच्चे को 14 सप्ताह की आयु तक सभी देय टीके लगवाने पर एक ही किस्त में किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने विभिन्न विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुश्री रमा देवी) ने 'विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कामकाज की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[48] सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग के तहत विभिन्न विकलांगताओं के लिए नौ राष्ट्रीय संस्थान गठित किए हैं। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों की समीक्षा**: पांच राष्ट्रीय संस्थानों के 11 क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राष्ट्रीय संस्थानों में कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तीकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) हैं। कमिटी ने कहा कि कई आरसी और सीआरसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त है। कई केंद्र

अस्थायी/किराये के भवनों में चलाए जा रहे हैं और कई सीआरसी निर्माणाधीन हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि विभाग समयबद्ध तरीके से अनुमोदित सीआरसी की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करे। इसने आगे सुझाव दिया कि संस्थानों और सीआरसी के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

- **फंड्स का कम उपयोग**: कमिटी ने गौर किया कि विभाग 2018-19 से 2021-22 तक संस्थानों और सीआरसी को मिले सहायतानुदान को खर्च करने में असफल रहा है। उसने कहा कि दो संस्थानों के खुलने के बावजूद 2017-18 से 2020-21 तक लाभार्थियों की संख्या में कमी आई। कमिटी ने पाया कि सभी संस्थानों/आरसी/सीआरसी द्वारा बजटीय आबंटन/सहायतानुदान का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता थी। उसने यह भी सुझाव दिया कि विभाग अपने बजट का 10% उत्तर-पूर्वी राज्यों को आबंटित करे।
- **राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति**: कमिटी ने कहा कि एक निदेशक स्तर का अधिकारी सात राष्ट्रीय संस्थानों का प्रमुख होता है, जबकि शेष दो की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करता है। इसके अलावा, एक दो स्तरीय शासी संरचना जिसमें सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद शामिल है, इन संस्थानों के कामकाज की देखरेख करती है। कमिटी ने कहा कि संस्थानों और उनकी परिषदों के प्रमुखों की नियुक्ति एक समान नहीं है। कमिटी ने सुझाव दिया कि विकलांगताओं से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों/विशेषज्ञों को राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: रमेश बिधूड़ी) ने 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[49] अक्टूबर 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (सतत) पहल को शुरू किया था। इस पहल के तहत परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में कंप्रेस्ड बायो गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और म्युनिसिपल ठोस कचरे जैसे स्रोतों से सीबीजी का उत्पादन होता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सीबीजी संयंत्रों की स्थापना**: कमिटी ने कहा कि 2023-24 तक 5,000 सीबीजी संयंत्र लगाने का लक्ष्य था लेकिन अब तक सिर्फ 40 संयंत्र लगाए गए हैं। योजना निवेशकों/उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाई। कमिटी ने सुझाव दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को योजना के तहत कचरे से ऊर्जा उत्पादन की मौजूदा पहल के स्थान पर प्राकृतिक गैस को घरेलू स्तर पर, तथा हरित एवं स्वच्छ रूप में उत्पादन की पहल करनी चाहिए।
- कमिटी ने कहा कि तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों (ओजीएमसीज़) ने उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र लगाने के लिए 1 जून, 2022 तक 3,263 आशय पत्र जारी किए हैं। सिर्फ 35 सीबीजी संयंत्रों को अब तक कमीशन किया गया है। उसी उद्यमी/निवेशक को कई आशय पत्र जारी किए गए हैं। हालांकि बैंक कई आशय पत्र वाले उद्यमियों को एक से ज्यादा प्रॉजेक्ट्स के लिए ऋण नहीं दे रहे। कमिटी ने कहा कि कई-कई पत्र इसलिए जारी किए गए हैं ताकि दिखाया जा सके कि योजना के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ओजीएमसीज़ के साथ धोखाधड़ी माना गया। जारी किए गए पत्रों की समीक्षा करने और नए पत्रों को जारी करने के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु उसने एक समिति के गठन का सुझाव दिया।
- **वित्तीय सहायता**: नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने सीबीजी प्रॉजेक्ट्स सहित नवीन एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की मदद के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना को लागू किया है। योजना अप्रैल 2021 से बंद है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस

योजना को फिर से शुरू किया जाए। उसने यह सुझाव भी दिया कि सीबीजी संयंत्रों के लिए कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) आधारित प्रोत्साहन की बजाय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाए। इसके तहत संयंत्र लगाने की बजाय संयंत्र चलाने और गैस उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। उसने यह सुझाव भी दिया कि तेल पीएसयूज़ जिनकी बैलेंस शीट दुरुस्त है और जो लाभ कमा रही है, उन्हें बायो-ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा प्रॉजेक्ट्स को वित्त पोषित करने के लिए वित्तीय संस्थान स्थापित करने चाहिए। कमिटी ने सुझाव दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत बायो फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खनन

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

भूविरासत और भू-अवशेषों के संरक्षण के लिए ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने ड्राफ्ट भूविरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) बिल, 2022 को जारी किया है।[50] मंत्रालय ने कहा है कि भू-विरासत स्थलों की सुरक्षा से संबंधित कानून की अभाव में क्षय, जनसंख्या दबाव और बदलती सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण उनके नष्ट होने का खतरा है। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **भूविरासत स्थलों की घोषणा**: केंद्र सरकार किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का भूविरासत स्थल घोषित कर सकती है। भूविरासत स्थलों में भूवैज्ञानिक महत्व की विशेषताएं शामिल होनी चाहिए, जैसे कि भू-अवशेष या प्राकृतिक चट्टानों की मूर्तियां। भू-अवशेष जंगम अवशेष हैं जैसे कि जीवाश्म या उल्कापिंड।
- **भूविरासत स्थलों का संरक्षण**: ड्राफ्ट बिल केंद्र सरकार को भूविरासत स्थलों के अधिग्रहण, संरक्षण और रखरखाव का अधिकार देता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक को इस उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण और उत्खनन जैसे अधिकार दिए जाएंगे। इन स्थलों पर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है कि इस स्थल को संरक्षित किया जाए या स्थल घोषित किए जाने से पहले की संरचना की मरम्मत की जाए।
- **भू-अवशेषों का संरक्षण:** केंद्र सरकार घोषित कर सकती है कि भू- अवशेषों को स्थल से हटाया नहीं जा सकता, और ऐसा सिर्फ महानिदेशक की अधिसूचना के साथ किया जा सकता है। महानिदेशक भू-अवशेष के संरक्षण के लिए उसके अधिग्रहण का निर्देश दे सकता है।
- **अपराध एवं दंड:** बिल के तहत अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भूविरासत स्थल को नष्ट करना, या उसका दुरुपयोग करना, (ii) गैरकानूनी निर्माण, और (iii) किसी भू-अवशेष को नुकसान पहुंचाना या उसे गैरकानूनी तरीके से हटाना। इन अपराधों के लिए पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या छह महीने तक की कैद की सजा हो सकती है, या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

14 जनवरी, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

कोयला आयात पर रिपोर्ट सौंपी गई

कोयला, खान एवं स्टील संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री राकेश सिंह) ने 'कोयला आयात- प्रवृत्तियां और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[51] कमिटी ने कहा कि 2022-23 में इसके 4-5% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उच्च-गुणवत्ता वाले कोयले (कम राख वाला कोयला/कोकिंग कोल) की आपूर्ति सीमित है। प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन भी सीमित है जिसके कारण कोकिंग कोल और प्राइम कोकिंग कोल को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धातु उद्योग, विशेष रूप से आयरन और स्टील उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के आयातों पर निर्भर हैं। कोकिंग कोल वह कोयला है जिसे गैर दहनशील अशुद्धियों को हटाने के लिए गर्म किया जाता है। कमिटी ने आयात निर्भरता कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उठाए गए कदमों पर गौर किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i)

उपभोक्ताओं को आपूर्ति के न्यूनतम सुनिश्चित स्तर को वार्षिक ठेके की मात्रा के 75% से बढ़ाकर 80% करना, (ii) उपभोक्ताओं को सड़क और रेल परिवहन के बीच से चुनने का लचीलापन प्रदान करना, और (iii) कोयला उपभोक्ताओं को लेटर्स ऑफ क्रेडिट के जरिए कोयला खरीद में सक्षम बनाना। कमिटी ने नए खनन स्थलों की खोज करने और जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां हासिल करने के बाद इन क्षेत्रों में खदानें खोलने के प्रयासों को बढ़ाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि कोयले की आयात निर्भरता कम करने के लिए कोयला वॉशरीज़ स्थापित करने में और तेजी लानी होगी। कमिटी ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए जिन उपायों का सुझाव दिया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राजस्व साझाकरण आधार पर खानों की नीलामी:** कमिटी ने सुझाव दिया कि खान मंत्रालय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को दाखिले के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्व साझाकरण के आधार पर अधिक खानों की नीलामी करे।
- **खनन का मशीनीकरण:** उसने सुझाव दिया कि खनन प्रक्रियाओं का और मशीनीकरण किया जाए क्योंकि इससे उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ती है।
- **परिवहन लागत का युक्तिकरण**: केंद्र सरकार संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ रेलवे फ्रेट शुल्क और पोर्ट हैंडलिंग शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में काम करे।
- **ओवरसीज़ कोयला ब्लॉक्स का अधिग्रहण:** कमिटी ने सुझाव दिया था कि कोयला मंत्रालय और सीआईएल उच्च क्वालिटी के कोकिंग कोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों में कोयला खदानों के अधिग्रहण की संभावना तलाशते रहें।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

रक्षा

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

युद्ध विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री जुआल ओराम) ने 'युद्ध विधवाओं/सशस्त्र बलों के परिवारों को उपलब्ध कल्याणकारी उपायों का आकलन' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[52] युद्ध विधवा या 'वीर नारी' वे महिलाएं होती हैं जिन्होंने युद्ध/सैन्य अभियानों में अपने पति को खोया होता है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **युद्ध विधवाओं के कल्याण हेतु विभाग**: कमिटी ने कहा कि वीर-नारी/निकट संबंधी के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और इसके संबद्ध कार्यालयों द्वारा चलाई जाती हैं। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रबंधन के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई विशेष विभाग नहीं है। कमिटी ने वीर नारी/निकट संबंधी के कल्याण के लिए जिम्मेदार मंत्रालय में एक समर्पित विभाग बनाने का सुझाव दिया ताकि उनसे संबंधित मुद्दों की बारीकी से जांच की जा सके और कल्याणकारी लाभों का कुशलतापूर्वक वितरण किया जा सके।
- **अनुकंपा लाभ:** मृत्यु के अनुकंपा हर्जाने का भुगतान शहीद सैनिक के परिवार के पात्र सदस्य को किया जाता है। इसकी राशि सैनिक की मृत्यु के कारणों पर निर्भर करती है जोकि 25 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए के बीच होती है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को मृत्यु के मामलों की सभी श्रेणियों में इसमें 10 लाख रुपए तक की वृद्धि पर विचार करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि पारिवारिक पेंशन को सैन्य सेवा के कारण मृत्यु/विकलांगता के मामलों में परिलब्धियों (इमाल्यमेंट्स) के 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाना चाहिए। राज्य शहीद सैनिकों के परिवारों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी देते हैं। हालांकि हर राज्य में यह अलग-अलग है। कमिटी ने सुझाव दिया कि अनुग्रह राशि के भुगतान में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

नाक से दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक (INCOVACC) कोविन प्लेटफॉर्म में शामिल

भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक (INCOVACC) जो नाक से दी जा सकती है, जनवरी 2023 से कोविन (CoWIN) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।[53] इस वैक्सीन को 6 सितंबर, 2022 को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।[54,55] इस वैक्सीन का मूल्य सरकारी सप्लाई के लिए 325 रुपए है और प्राइवेट मार्केट के लिए जीएसटी हटाकर 800 रुपए है।[53]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा की

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।[56] एबीडीएम प्रत्येक नागरिक को एक समेकित डेटाबेस में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि मेडिकल इलाज हासिल करते समय उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके।[57] इस योजना के तहत पात्र स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ सॉल्यूशंस को इस आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा कि उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) में कितने स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स क्रिएट और लिंक किए हैं। एबीएचए संख्या विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड को चिन्हित करती है।[57]

अस्पताल और डायग्नॉस्टिक लैब्स और केंद्र इस योजना के तहत पात्र हैं। योजना के तहत एबीएचए से जुड़े ट्रांजैक्शंस की संख्या की एक मासिक सीमा होगी, जिसके अधिक होने पर अस्पतालों या डायग्नॉस्टिक केंद्रों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।[56] उदाहरण के लिए अस्पतालों को प्रति माह प्रति बेड 50 ट्रांजैक्शंस के आधार स्तर से अधिक होने पर प्रति ट्रांजैक्शंस 20 रुपए प्राप्त होंगे।[56] डायग्नॉस्टिक केंद्रों और लैब्स 500 एबीएचए लिंक्ड ट्रांजैक्शंस प्रति माह के आधार स्तर के अधीन हैं जिससे अधिक होने पर उन्हें हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए मिलेंगे।[56] इस योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र को अधिकतम प्रोत्साहन राशि चार करोड़ रुपए तक मिल सकती है।[56] इस योजना का अनुमानित प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 50 करोड़ रुपए है।[58]

नागरिक उड्डयन

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

टिकटों के डाउनग्रेड होने पर यात्रियों को हर्जाना देने के लिए नियम प्रस्तावित किए

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागरिक उड्डयन आवश्यकता में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जोकि डीजीसीए द्वारा प्रतिपादित मानक और नियम हैं।[59] संशोधनों के तहत एयरलाइन्स से यह अपेक्षित है कि टिकट के डाउनग्रेड होने पर वे हर्जाने के तौर पर यात्रियों को उनके टिकट की पूरी कीमत चुकाएं।[60] इसके अतिरिक्त यात्रियों को अगली उपलब्ध श्रेणी में मुफ्त ले जाया जाए।[60] डाउनग्रेडिंग का अर्थ है, बुक किए गए टिकट की श्रेणी को निम्न श्रेणी में तब्दील करना।

टिप्पणियां 23 जनवरी, 2023 तक आमंत्रित हैं।

खेल

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

विकलांग खिलाड़ियों के लिए खेल केंद्रों को सुगम बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने विकलांग खिलाड़ियों के लिए सुलभ खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।[61] दिशानिर्देश विकलांग व्यक्ति अधिकार एक्ट, 2016 को प्रभावी बनाते हैं जो केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य करता है कि वह सार्वजनिक सुविधाओं तक सुगम्यता के मानकों के संबंध में नियम बनाए।[61,62] दिशानिर्देशों में खेल सुविधाओं के संरचनात्मक तत्व शामिल हैं जिन्हें सुलभ बनाया जाना चाहिए। इनमें ऐसे प्रवेश द्वार शामिल हैं जिनका पता लगाना आसान है, समान और स्पष्ट रूप से पहचानी जाने वाली सीढ़ियां, और बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट शामिल हैं, जो व्हीलचेयर यूजर्स के अनुकूल होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में विशिष्ट मानकों का भी प्रावधान होना चाहिए जैसे

दृष्टिबाधित लोगों के लिए संकेत, और विशिष्ट खेल उपकरण जैसे खेल में इस्तेमाल होने वाली लाइटवेट व्हीलचेयर्स।[61]

रेलवे

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

रेलवे मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की

रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की।[63] यह योजना चुनींदा स्टेशनों पर नई सुविधाएं प्रदान करेगी, साथ ही साथ मौजूदा सुविधाओं का अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट भी करेगी। यह लंबे समय की मास्टर प्लानिंग पर आधारित होगा। मास्टर प्लान को जरूरत के आधार पर लागू किया जाएगा। काम के व्यापक दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) सड़कों को चौड़ा करके और अनचाहे ढांचों को हटाकर स्टेशन तक पहुंच में सुधार, (ii) रेलवे के कार्यालयों को सुलभ स्थानों पर रीलोकेट करना ताकि यात्रियों से संबंधित गतिविधियों और भविष्य के विकास के लिए स्पेस बन सके, (iii) अच्छी क्वालिटी वाले वेटिंग रूम बनाना, (iv) प्लेटफॉर्म्स पर जल निकासी में सुधार, (v) एग्जीक्यूटिव लाउंज और बिजनेस मीटिंग्स के लिए जगह बनाना, और (v) भविष्य में स्टेशनों में रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का निर्माण करना।

सड़क परिवहन

Siddharth Mandrekar Rao (siddharth@prsindia.org)

बीएच-सीरिज़ के वाहनों के पंजीकरण नियमों में संशोधन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किए हैं।[64,65,66] 1989 के नियम सभी मोटर वाहनों के पंजीकरण का प्रावधान करते हैं।[67] नियमों के तहत भारत (बीएच) सीरिज़ के पंजीकरण चिन्ह वाले गैर-परिवहन वाहनों की नंबर प्लेट देश भर में वैध है। सरकारी कर्मचारी और ऐसे निजी कर्मचारी बीएच पंजीकरण के पात्र हैं जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों में हैं।[67] संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **बीएच पंजीकरण का हस्तांतरण**: संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अगर बीएच-पंजीकृत वाहन को बीएच पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो पंजीकरण वैध रहेगा। हालांकि अगर अन्य व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उन्हें नियमित पंजीकरण सीरिज़ से एक नया पंजीकरण चिह्न (राज्य-विशिष्ट संख्या जैसे MH या TN वाली नंबर प्लेट) प्राप्त करना होगा। वाहन राज्य के नियमों के अनुसार मोटर वाहन कर के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त अगर बीएच-सीरिज़ पंजीकृत वाहन का मालिक पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह जाता है तो वाहन का पंजीकरण उस अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके लिए कर का भुगतान किया गया है।
- **पंजीकरण के लिए आवेदन**: संशोधनों में कहा गया है कि बीएच पंजीकरण के लिए आवेदन राज्य में किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण को किया जा सकता है जहां निर्दिष्ट वाहन मालिक स्थायी रूप से रहता है या काम करता है।

सुरक्षा मानकों के मद्देनजर ईवी बैटरी को वाहन घटकों की सूची में शामिल किया गया

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किए हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की ट्रैक्शन बैटरियों को निर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा सके।[65,66,68] ट्रैक्शन बैटरियों को इलेक्ट्रिक वाहन की पावर ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता है।

मीडिया एवं प्रसारण

Saket Surya (saket@prsindia.org)

एवीजीसी क्षेत्र के प्रोत्साहन पर कार्यबल की रिपोर्ट जारी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) संवर्धन कार्यबल पर रिपोर्ट जारी की।[69] सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव कार्यबल के अध्यक्ष थे। कार्यबल के सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय नीति**: क्षेत्र के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय और राज्य नीतियां बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में इन नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए गए हैं।[70,71] ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति भारत में इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित को चिन्हित करती है: (i) बाजार का एक्सेस और विकास, (ii) प्रौद्योगिकी तक पहुंच, (iii) कौशल, (iv) शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकरण, (v) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा, और (vi) अधिक सरकारी परिव्यय। ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित की स्थापना का प्रस्ताव है: (i) एक राष्ट्रीय मिशन, (ii) एक समर्पित फंड, और (iii) एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। इस फंड का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है: (i) उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, (ii) क्षेत्र के लिए स्टार्टअप सीड फंड शुरू करना, (iii) वायबिलिटी गैप फंडिंग, और (iv) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- **शिक्षा संबंधी हस्तक्षेप**: एवीजीसी शिक्षा के लिए एक समग्र रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। एवीजीसी क्षेत्र के पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **ऑनलाइन स्किल गेमिंग**: ऑनलाइन स्किल गेमिंग के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। कैजुअल गेम्स, रियल मनी गेम्स और ई-स्पोर्ट्स के लिए अलग रेगुलेटरी और बाजार विकास सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

अनुलग्नक

संसद की विभिन्न स्टैंडिंग कमिटीज़ द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान समीक्षा के लिए चिन्हित विषयों को तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 4: 2022-23 के दौरान समीक्षा के लिए चिन्हित विषय

कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय
1. पर्सनल लॉ की समीक्षा
2. भर्ती संगठनों का कामकाज
3. चुनाव प्रक्रियाओं और उसके सुधार के विशिष्ट पहलू
4. वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र की कार्यप्रणाली
5. विधान और विधायी प्रभाव का आकलन - भारत में स्थिति और आगे का रास्ता
6. देश में न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा
7. न्यायिक अवसंरचना की समीक्षा
8. कानूनी पेशे के सामने उभरती चुनौतियों को देखते हुए कानूनी शिक्षा को मजबूत करना
9. विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट, 1987 के तहत कानूनी सहायता के कार्य की समीक्षा
10. सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण
11. सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 की समीक्षा और केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली
12. सतर्कता प्रशासन की प्रभावशीलता
13. न्यायिक प्रक्रिया और उसका सुधार
14. विधायी प्रारूपण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना
15. अप्रचलित और निरर्थक कानूनों की समीक्षा
16. लोक शिकायत प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर शिकायतों का प्रभावी निवारण
17. अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधानों की समीक्षा
18. नोटरी और शपथ आयुक्तों की नियुक्ति
रसायन एवं उर्वरक
उर्वरक विभाग
1. सतत फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य का रखरखाव
2. उर्वरकों के उत्पादन की योजना तथा उर्वरकों पर जीएसटी सहित आयात नीति तथा उस पर आयात शुल्क
3. यूरिया सबसिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता सहित उर्वरक सबसिडी नीति और मूल्य निर्धारण के मामले

4. उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

1. विजन 2024 - विभिन्न उपायों के जरिए भारत को रसायनों और पेट्रोरसायनो के एक अग्रणी निर्माता के रूप में स्थापित करना, जैसे बीमारू इकाइयों का पुनरुद्धार इत्यादि
2. कृमिनाशक और कीटनाशक - सुरक्षित उपयोग सहित प्रचार और विकास - कीटनाशकों के लिए लाइसेंस व्यवस्था
3. डाई-स्टफ और डाई इंटरमीडिएट उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक
4. भोपाल गैस रिसाव स्थल से जहरीले कचरे का निस्तारण
5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना

फार्मास्यूटिकल विभाग

1. चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना
2. गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए फार्मास्यूटिकल उद्योग के निर्बाध विकास की स्थापना
3. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई) के उत्पादन और उपलब्धता में आत्मनिर्भरता
4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) के लिए परिसरों का निर्माण

[1] Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India, December 7, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1320C7BEA8E64E4D4BD6AC45A1A9E2C05391.PDF.

[2] Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India, September 30, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR967196493D3FEAA4FA9A5F229E2F366F6BC.PDF.

[3] Developments in India's Balance of Payments during the Second Quarter (July-September) of 2022-23, Reserve Bank of India, December 29, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1453AB4902AF25C6417499BAFB63CC2B16A7.PDF.

[4] First Supplementary Demands for Grants, Ministry of Finance, December, 2022, https://dea.gov.in/sites/default/files/%21st%20Supplementary%20Demand%202022-23.pdf.

[5] "Cabinet approves Nutrient Based Subsidy rates for Phosphatic and Potassic fertilizers for Rabi season 2022-23 from 1st October, 2022 to 31st March, 2023", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilisers, November 2, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1873019.

[6] "Centre extends Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) for another three months (October 2022-December 2022)", Press Information Bureau, Cabinet, September 28, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1862944.

[7] Report No. 52, Standing Committee on Finance, 'The Competition (Amendment) Bill, 2022, Lok Sabha, December 13, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Finance/17_Finance_52.pdf.

[8] Report No. 53, Standing Committee on Finance, 'Anti-Competitive Practices by Big Tech Companies', Lok Sabha, December 22, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Finance/17_Finance_53.pdf.

[9] F. No. IRDAI/Reg/9/188/2022, Insurance Regulatory and Development Authority of India, December 5, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/240877.pdf.

[10] Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/Uploadedfiles/Regulations/Consolidated/IRDA%20(Registration%20of%20Indian%20Insurance%20Companies)%20Regulations2000.pdf.

[11] Insurance Regulatory and Development Authority (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo2508&flag=1.

[12] Consultation Paper on Strengthening the Investor Grievance Redressal Mechanism in the Indian Securities Market by harnessing Online Dispute Resolution mechanisms, Securities and Exchange Board of India, December 19, 2022, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2022/consultation-paper-on-strengthening-the-investor-grievance-redressal-mechanism-in-the-indian-securities-market-by-harnessing-online-dispute-resolution-mechanisms_66361.html.

[13] SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, December 20, 2022, https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/dec-2022/sebi-board-meeting_66407.html.

[14] Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India, September 11, 2018, https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/sep-2018/securities-and-exchange-board-of-india-buy-back-of-securities-regulations-2018_40327.html.

[15] Consultation paper on Regulatory Framework for Index Providers, Securities and Exchange Board of India, December 28, 2022, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2022/consultation-paper-on-regulatory-framework-for-index-provider_66703.html.

[16] Revised Regulatory Framework - Categorization of Urban Co-operative Banks (UCBs) for Regulatory Purposes, Reserve Bank of India, December 1, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI144A9762C659ECF4F54AFC9B1CF131D5E23.PDF.

[17] Revised Regulatory Framework for Urban Co-operative Banks (UCBs) – Net Worth and Capital Adequacy, Reserve Bank of India, December 1, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NETWORTHCAPITALADEQUACY1EEF35D1B9FA426AAA640D15500BD60D.PDF.

[18] Classification of UCBs for Regulatory Purposes - Revised Norms, Reserve Bank of India, March 7, 2008, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/83408.pdf.

[19] Review of norms for classification of Urban Co-operative Banks (UCBs) as Financially Sound and Well Managed (FSWM), Reserve Bank of India, December 1, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CLAUUCBSFAE4AA5D8D2744CC8C487F7B8CA7E477.PDF.

[20] The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241246.pdf.

[21] The Energy Conservation Act, 2001, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2003/1/a2001-52.pdf

[22] Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Dealing in Energy Savings Certificates) (First Amendment) Regulations, 2022, Central Electricity Regulatory Commission, December 7, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241349.pdf.

[23] Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Dealing in Energy Savings Certificates) Regulations, 2016, Central Electricity Regulatory Commission, May 27, 2016, https://cercind.gov.in/2016/regulation/G_124.pdf.

[24] Nine Bills passed by both the Houses of Parliament", Press Information Bureau, Ministry of Parliamentary Affairs, December 23, 2022, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1886024.

[25] United Nations Convention on the Law of the Sea, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

[26] The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019: Comparison of the 2019 Bill with 2022 Amendments and Recommendations of the Standing Committee, December 12, 2022, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Anti-Maritime%20Piracy%20Bill,%202019,%20PRS%20Comparison%20Table.pdf.

[27] Report No. 16, Standing Committee on External Affairs, 'India's Soft Power and Cultural Diplomacy: Prospects and Limitations, Lok Sabha, December 12, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/External%20Affairs/17_External_Affairs_16.pdf.

[28]The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241400.pdf.

[29] The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022, https://www.mpa.gov.in/sites/default/files/Press%20Release_3.pdf.

[30] The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, https://legislative.gov.in/sites/default/files/19_The%20Constitution%20%28ST%29%20Order%201950.pdf.

[31] The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/218_2022_C_LS_Eng12192022122704PM.pdf.

[32] The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/220_2022_LS_Eng129202224323PM.pdf.

[33] Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2000-28.pdf.

[34] The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/215_2022_LS_Eng.pdf.

[35] The Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, https://mscs.dac.gov.in/Guidelines/GuidelineAct2002.pdf.

[36] Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2022/Jan%20Vishwas%20(Amendment%20of%20Provisions)%20Bill,%202022.pdf.

[37] "Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme gets extended to Chemicals, Pharmaceuticals and Articles of Iron & Steel from 15.12.2022", Press Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, December 7, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1881602.

[38] "Nine Bills passed by both the Houses of Parliament", Press Information Bureau, Ministry of Parliamentary Affairs, December 23, 2022.

[39] The Factoring Regulation Act, 2011, India Code, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2116/1/AA2012__12.pdf.

[40] Public Notice, Law Commission of India, December 16, 2022, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/09/2022121666.pdf.

[41] Draft Report on Simultaneous Elections, Law Commission of India, August 30, 2018.

[42] "Free foodgrains to 81.35 crore beneficiaries under National Food Security Act: Cabinet Decision", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 23, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886215.

[43] The National Food Security Act, 2013, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf.

[44] CG-DL-E-22122022-241313, The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Rules, 2022, Ministry of Women and Child Development, December 22, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241313.pdf.

[45] The National Food Security Act, 2013, https://food.rajasthan.gov.in/Docs/NFSA_ACT_2013.pdf.

[46] G.S.R. 416 (E), Indira Gandhi Matritva Sahyog Rules, 2016, Ministry of Women and Child Development, April 12, 2016, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2016/169108.pdf.

[47] Mission Shakti Guidelines, 2022, https://wcd.nic.in/sites/default/files/Mission%20Shakti%20Guidelines%20for%20implementation%20during%2015th%20Finance%20Commission%20period%202021-22%20to%202025-26.pdf.

[48] Report No. 42, Standing Committee for Social Justice and Empowerment, 'Review of the functioning of National Institutes for different types of disabilities', Lok Sabha, December 16, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Social%20Justice%20&%20Empowerment/17_Social_Justice_And_Empowerment_42.pdf.

[49] Report No. 17, Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, 'Review of Implementation of CBG (SATAT)', Lok Sabha, December 21, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Petroleum%20&%20Natural%20Gas/17_Petroleum_And_Natural_Gas_17.pdf.

[50] No. M.I-40/4/2020-Mines I, Ministry of Mines, December 15, 2022, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/NoticeforPublicConsultation2022.pdf.

[51] Report No. 37, Standing Committee on Coal, Mines and Steel: 'Import of Coal—Trends and Issue of Self-reliance', December 22, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Coal,%20Mines%20and%20Steel/17_Coal_Mines_and_Steel_37.pdf.

[52] Report No. 31, Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Assessment of Welfare Measures Available to War Widows/Families in Armed Forces, December 15, 2022, Lok Sabha, https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Defence/17_Defence_31.pdf.

[53]"INCOVACC® is now available on CoWin, priced at INR 800+GST for Private Markets and INR 325+GST for Governments", Bharat Biotech, December 27, 2022, https://www.bharatbiotech.com/images/press/incovacc-price-press-release.pdf.

[54] "First Nasal Vaccine against COVID- 19 Supported by DBT-BIRAC gets Emergency Use Authorization from India Drug Regulator DCGI", Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, September 7, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1857433.

[55] "COVID-19 vaccines approved for Manufacture for Sale or for Distribution in the country", Central Drugs Standard Control Organization, Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, October 4, 2022, https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/download_file_division.jsp?num_id=OTA4MQ==.

[56] "NHA aims to promote adoption of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) by offering incentives of up to Rs. 4 crores to hospitals, labs and digital health solution providers", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, December 22, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885610#:~:text=NHA%20aims%20to%20promote%20adoption,and%20digital%20health%20solution%20providers&text=The%20National%20Health%20Authority%20(NHA,of%20the%20digital%20health%20ecosystem..

[57] "Background", Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), National Health Authority, https://abdm.gov.in/abdm, accessed on December 27, 2022

[58] "Digital Health Incentive Scheme (DHIS) for ABDM adoption", Ayushman Bharat Digital Mission, National Health Authority, December 21, 2022, https://abdm.gov.in:8081/uploads/Digital_Health_Incentive_Scheme_550e710e09.pdf.

[59] "DGCA in the Process of Amending its Provisions to Protect the Rights of Air Travelers Affected by Downgrading of Ticket", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, December 23, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885978.

[60] Civil Aviation Requirements, Air Transport Series, Directorate General of Civil Aviation, December 2022, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?page=jsp/dgca/InventoryList/RegulationGuidance/CommentsInvited/pdf/D3M-M4(Draft_Dec2022).pdf&main4359/4235/servicename.

[61] No. 7-6/MYAS/MDSD/2021, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, December 8, 2022 https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/240990.pdf.

[62] The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf.

[63] 'Amrit Bharat Station Scheme for Indian Railways', Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 27, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886884.

[64] G.S.R. 879(E), Ministry of Road Transport and Highways, December 14, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241119.pdf.

[65]The Motor Vehicles Act, 1988, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1988-59.pdf?cd=NAA0ADkANwA%3D#:~:text=An%20Act%20to%20consolidate%20and%20amend%20the%20law%20relating%20to%20motor%20vehicles.&text=PRELIMINARY-,1.,the%20Motor%20Vehicles%20Act%2C%201988.

[66] The Central Motor Vehicle Rules, 1989, https://morth.nic.in/central-motor-vehicles-rules-1989-1

[67] G.S.R. 594(E), Ministry of Road Transport and Highways, August 26, 2021, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/GSR%20594(E)%2026%20.08.2021%20BH%20series%20registration%20mark%20Rules.pdf.

[68] G.S.R. 888(E), Ministry of Road Transport and Highways, December 19, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/241225.pdf.

[69] "Realising AVGC-XR Sector Potential in India", AVGC Promotion Task Force, Ministry of Information and Broadcasting, December 2022, https://mib.gov.in/sites/default/files/AVGC-XR%20Promotion%20Taskforce%20Report%20-%202022.pdf.

[70] Draft National Policy for Growth of Animation, Visual Effects, Gaming, Comic, and Extended Reality Sector in India, AVGC Promotion Task Force Report, Ministry of Information and Broadcasting, December 2022, https://mib.gov.in/sites/default/files/Annexure%20C_Draft%20National%20Policy%20for%20growth%20of%20AVGC-XR%20sector%20in%20India.pdf.

[71] Draft Model State Policy for Growth of Animation, Visual Effects, Gaming, Comic, and Extended Reality Sector in India, AVGC Promotion Task Force Report, Ministry of Information and Broadcasting, December 2022, https://mib.gov.in/sites/default/files/Annexure%20D_Draft%20Model%20State%20Policy%20for%20AVGC-XR%20Sector.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।